रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062025-263571 CG-DL-E-03062025-263571

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2411]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2025/ज्येष्ठ 13, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2025/JYAISTHA 13, 1947

No. 2411]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 3 जुन, 2025

का.आ. 2470(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की अधिसूचना में का.आ. 4062(अ), दिनांक 08.11.2019 खुदरा मूल्य के निर्धारण से संबंधित, भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित, तालिका के क्रमांक संख्या 6 के कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित निर्माता का नाम अब से "मैसर्स एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड" के स्थान पर "मैसर्स टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड" के रूप में पढ़ा जाए।

2. तालिका के क्रम संख्या 6 से संबंधित दिनांक 08.11.2019 के मूल आदेश का.आ. 4062(अ), में उल्लिखित सभी नोट्स और अन्य सामग्री समान रहेंगी।

[पी.एन./265/133/2025/एफ/फा. सं. 8(133)/2025/डीपी/एनपीपीए-डीवी-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

3636 GI/2025 (1)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd June, 2025

- **S.O.** 2470(E).—In the National Pharmaceutical Pricing Authority's notification S.O. 4062(E), dated 08.11.2019 relating to the fixation of retail price, published in the Gazette of India, Extraordinary, in the Table, the name of the manufacturer mentioned in column no. 5 for the Sl. No. 6, is to be henceforth, read as "M/s Torrent Pharmaceuticals Limited" instead of "M/s Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited".
- 2. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 4062 (E), dated 08.11.2019 relating to Sl. No. 6 of the table shall remain the same.

[PN/265/133/2025/F /F. No. 8(133)/2025/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director